# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 52/2023

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जाटावास पंचायत समिति रियाबडी जिला नागौर। | | 1 देवाराम पुत्र अल्फूराम जाति जाट निवासी जाटावास पंचायत समिति रियाबडी जिला नागौर।<br>2 सरपंच ग्राम पंचायत जाटावास पंचायत समिति रियाबडी जिला नागौर |

उपस्थिति–

1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री रमेश ढाका, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

दिनांक 26.05.2025

**निर्णय**

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जाटावास द्वारा पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 40/2021 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.11.2021 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.07.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 13.07.23 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री रमेश ढाका, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 बाजवूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल संख्या 40/21 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 17 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.08.22 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत जाटावास के प्रस्ताव दिनांक 11.10.22 की फोटोप्रति तथा अप्राथी संख्या 01 ने बेचाननामा की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पट्टा जैर निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 ने जानबूझ कर मिथ्या तथ्य ग्राम पंचायत के समक्ष पेश कर व वास्तविक तथ्य ग्राम पंचायत से छुपा कर जारी करवाया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–ग्राम पंचायत जाटावास पूर्व में ग्राम पंचायत रियाबडी का भाग था व ग्राम जाटावास स्थित मकानों आदि के पूर्व में पटटे ग्राम पंचायत रियाबडी द्वारा जारी किये गये थे कालान्तर में ग्राम जाटावस अलग से ग्राम पंचायत सृजित कर दिये जाने के कारण ग्राम पंचायत रियाबडी का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत जाटावास के यहां नहीं होने के कारण अप्राथी संख्या 1 देवाराम के पट्टा आवेदन, उसके शपथ पत्र गवाहान के बयानों आदि पर विश्वास करते हुए ग्राम पचांयत जाटावास ने विधिक प्रक्रिया कथित पटटा जारी किया था, इसमें ग्राम पंचायत की कोई मिलीभगति या अवैधानिक कृत्य नहीं रहा था, मात्र पूर्व का कोई रिकॉर्ड नहीं होने व आपति आमंत्रण के समय भी कोई उजर आपति पेश नहीं होने की परिस्थिति में पटटा जारी कर दिया गया था लेकिन बाद में उक्त रामचन्द्र ने इस जायगा को पहले से ग्राम पंचायत रियाबडी द्वारा पटटा संख्या 17/दिनांक 16.09.1973 का जारी हो रखा होना बताया है ऐसी स्थिति में जब पूर्व में पटटा जारी हो रखा है तो पश्चावर्ती पटटा जो गलत आवेदन व मिथ्या सूचना देकर जारी करवाया गया है वह औचित्यहीन होने से उसे निरस्त करवाये जाने का ग्राम पंचायत को विधिक अधिकार होने से उक्त पश्चातवर्ती पटटा को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(3)– पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन के पश्चात अप्रार्थी देवाराम ने एक तस्दीकसुदा शपथ पत्र भी पेश किया था जिसमें स्वयं ने यह स्वीकार किया कि इसमें कोई भी तथ्य असत्य पाये गये तो ग्राम पंचायत जाटावास मेरे विरूद्व कार्यवाही कर सकती है इस प्रकार पटटाधारी देवाराम ने अपने शपथ पत्र में भी उक्त जायगा स्वयं की कब्जासुद होने व पूर्व में पटटा जारी नहीं होने का मिथ्या कथन किया था, क्योंकि पूर्व में इस जायगा का दिनांक 16.09.1973 को ग्राम पंचायत रिया द्वारा पटटा संख्या 17 जारी किया हुआ है जिसमें न तो देवाराम का पूर्व में कब्जा था न आज दिन है गवाहान के मिथ्या साक्ष्य पेश करवा कर पटटा जारी करवाया गया है तथा शपथ पत्र के तथ्यों से देवाराम पांबद है व मिथ्या तथ्यों की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत को पटटा निरस्त करवाने का अधिकार है इस कारण भी उक्त पटटा को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अपर कलक्टर, नागौर

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि
3(1)–विवादग्रस्त जायगा रामाकिशन से खरीद की गई है तथा रामाकिशन ने अपने बेचान में किसी पटटे का कोई जिक्र नहीं किया और न ही रामाकिशन को उक्त निगरानी में पक्षकार बनाया गया हैं, जबकि वह आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किये जाने योग्य है। रामाकिशन ने बेचान में उल्लेख किया कि बी वाली थाला मय कच्ची हाल मेरे पिताजी के द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र मोहनलाल धूत व श्री रामारामजी पुत्र शुकरलाल धूत निवासीगण जाटावास के द्वारा खरीदसुदा स्थित है तथा उक्त बेचान में रामाकिशन व रामचन्द्र के पिता ने भी उक्त तथ्यो को सही होना स्वीकार किया तथा कई गांव के मौजीज लोगो ने भी उक्त तथ्य को सही होना मानकर साखे डाली थी। उक्त बेचाननामा की लिखापढी दिनांक 06.03.1996 को की गई थी। इसके अलावा उक्त बेचान से पूर्व रामाकिशन, रामचन्द्र व उसके पिता ने आपस में दिनांक 28.05.1995 को पारिवारिक लिखापढी की थी, जिसमें उक्त बेचान में दर्शायी गई ए व बी की जायगा रामाकिशन के बंट में रखी जाना स्वर्गीय रामचन्द्र व उसके पिता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उक्त पारिवारिक लिखापढी में भी रामचन्द्र स्वयं ने भी किसी पटटे को होना का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 सद्भावी क्रेता हैं, जिसको रामाकिशन ने मालिक की हैसियत से बेचान किया तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली। इस प्रकार यदि किसी के द्वारा आपराधिक षडयंत्र का गठन किया है तो वह रामाकिशन, रामचन्द्र व उनके पिता द्वारा किया गया है। देवाराम ने बेचाननामा के अनुसार ही आवेदन पेश किया है तथा ग्राम पंचायत जाटावास ने भी कब्जे संबंधी व अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही पटटा जारी किया गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच उगमाराम के पिता मांगीलाल ने बेचाननामा में भी साख डाली थी।
3(2)–अप्रार्थी देवाराम ने उक्त जायगा रामाकिशन से खरीद की है तथा उक्त बेचान में पांचाराम स्वयं ने भी रामाकिशन के बंटवाडे में होना स्वीकार किया है। उक्त बेचाननामा के अनुसार रामाकिशन व उसके पिता पांचाराम ने किसी पटटा का कोई जिक्र नहीं किया है, यदि ऐसा कोई कथन कथित पटटा होता तो उसका उल्लेख बेचाननामा में अवश्य किया जाता। इससे प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी पटटा बनाया होगा, क्योंकि यह कथन गलत है कि उक्त जायगा देवाराम का कब्जा नहीं हो, बल्कि बेचाननामा दिनांक 06.03.1996 के आधार पर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर रामाकिशन द्वारा कब्जा भौतिक रूप से देवाराम को सुपुर्द कर दिया, उसके पश्चात से उक्त जायगा पर देवाराम का कब्जा निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक आज दिन तक चला आ रहा है।
3(3)– प्रार्थी ने जिस पट्टा संख्या 17 का उल्लेख किया है उसकी केवल फोटोप्रति न्यायालय में पेश की है, केवल फोटोप्रति न्यायालय में साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं है। पटटा संख्या 17 दिनांक 19.09.73 एवं पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.11.2021 के पाडौस समान नहीं है तथा पट्टा संख्या 17 का क्षेत्रफल 1549 वर्गफीट है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.11.2021 का क्षेत्रफल 2362.50 वर्गफीट है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त दोनो पट्टे एक ही जायगा के नहीं है। उक्त निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।
4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत जाटावास द्वारा पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 40/2021 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.11.2021 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त विवादित जायगा पर पहले से ही तत्कालीन ग्राम पंचायत रियाबडी द्वारा पट्टा संख्या 17 दिनांक 19.09.1973 को रामचन्द्र, रामाकिशन के नाम से जारी हो रखा है तथा वर्तमान ग्राम पंचायत जाटावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.11.2021, पूर्व में जारी पट्टा संख्या 17 की जायगा पर बनाया हुआ है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पट्टा संख्या 17 दिनांक 19.09.73 एवं पट्टा संख्या 1 दिनांक 20.11.2021 का पडौस पूर्ण रूप से समान नहीं है तथा उक्त दोनो पट्टा का क्षेत्रफल क्रमशः 1549 वर्गफीट एवं 2362.50 वर्गफीट है जो पूर्णतया भिन्न है। गाम पंचायत ने पत्र क्रमांक ग्रापजा/2021/201–236 दिनांक 13.11.2021 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 148 की पालना में आक्षेप आमंत्रित हेतु सूचना भी जारी की गई है परंतु आपति आमत्रित के आक्षेप मे ऐसा कोई उजर नही आया कि उक्त जायगा पर पूर्व



अपर कलक्टर, नागौर

मे पट्टा जारी हो रखा हो। निगरानीकर्ता ने ऐसे कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये जिससे साबित होता हो कि पट्टा संख्या 17 की जायगा पर ही पट्टा संख्या 01 जारी किया गया हो। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी ली गई है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज के नियमों की पालना करते हुए विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.11.2021 के संकल्प सं. 2 के अनुसार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। पट्टे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार रसीद संख्या 28 दिनांक 20.11.2021 द्वारा 100/– रूपये जमा कर पट्टा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२८/5/२५

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर